

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1462
उत्तर देने की तारीख 26 जुलाई, 2022
04 श्रावण, 1944 (शक)

कोविड-19 के कारण खेल प्रशिक्षण केंद्रों का बंद होना

1462 श्रीमती नुसरत जहां:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के 70 से अधिक खेल प्रशिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जब प्रशिक्षण केंद्र बंद हैं तब सरकार द्वारा खिलाड़ियों को पर्याप्त मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों का कोई महत्वपूर्ण कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान या दान नहीं हुआ, जैसाकि उसी वर्ष के बजट अनुमानों में अपेक्षित था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के प्रशिक्षण केंद्रों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर बंद कर दिया गया था और फिर से शुरू कर दिया गया ।

(ख) ज्ञान के उन्नयन और एथलीटों की शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के साथ-साथ सतत मार्गदर्शन और सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

- इस अवधि के दौरान एथलीटों को प्रेरित और फिट रखने के लिए कोचों द्वारा एथलीटों के लिए नियमित ऑनलाइन प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की गईं। एथलीटों को दैनिक अभ्यास के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल भी प्रदान किए गए।
- खेल मनोविज्ञान, खेल विज्ञान/औषधि, पोषण, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, उच्च प्रदर्शन खेल वातावरण आदि में ऑनलाइन मोड में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योग सत्र आयोजित किए गए।
- विभिन्न विषयों जैसे डोपिंग, यौन उत्पीड़न की रोकथाम आदि में वेबिनार भी आयोजित किए गए।

(ग) और (घ): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नियमित रूप से कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस अनुरोध के साथ बातचीत कर रहा है कि वे राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) में योगदान करें और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भागीदार बनें। इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), स्पाइस जेट और डीसीएम श्रीराम को एनएसडीएफ की परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) या निजी कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान/संदान विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है। पीएसयू या निजी कंपनियां अपनी संबंधित नीतियों/प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यकलापों के लिए सीएसआर योगदान/संदान जारी करती हैं। इसे देखते हुए इस तरह के योगदान का बजट अनुमान संभव नहीं है।
